



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3538]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2017/पौष 1, 1939

No. 3538]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2017/PAUSHA 1, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4040(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्यांक 850(अ), तारीख 17 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में, (i) प्रारंभिक पैरा में क्रम संख्यांक 1 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“श्री जॉनी जोसफ

अध्यक्ष”;

भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त)

701, कालालिली-वाई, नाहर अमृत शक्ति,

चंडीवाली, अंधेरी वेस्ट,

मुंबई - 400072, महाराष्ट्र

(ii) पैरा 5 में, क्रम संख्यांक (x) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(xi) डा. हेमंत सहसराबुद्धे

सदस्य”;

“उत्कर्ष”, एलबी-53,

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, लक्ष्मी नगर,

नागपुर-440002, महाराष्ट्र

(iii) पैरा 6 में, क्रम संख्यांक (i) के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“श्री मोहन अडतानी

अध्यक्ष”।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त)

फ्लैट सं. ए/3, भावल फ्लैट्स, मॉलीडिना रोड, कैंप, पुणे-411001, महाराष्ट्र

[फा. सं. जे-11013/30/2007-आईए. II(I)]

जिगमेता टक्पा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्याक 850(अ), तारीख 17 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2017

S.O. 4040(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 850(E), dated the 17th March, 2017, namely:—

2. In the said notification, (i) in the opening paragraph, against said number (i) for the entries, the following shall be substituted, namely:—

“Shri Johnny Joseph
Indian Administrative Service (Retired)
701, Callalily- Y, Nahar Amrit Shakti,
Chandivali, Andheri East,
Mumbai- 400072, Maharashtra

Chairman”;

(ii) in the paragraph 5., after serial number (x) the following shall be inserted, namely:—

“(xi) Dr Hemant Sahasrabuddhe
“Utkarsha”, LB-53,
Housing Board Colony, Laxmi Nagar,
Nagpur- 440002, Maharashtra

Member”;

(iii) in the paragraph 6., against serial number (i) for the entries, the following shall be substituted, namely:—

“Shri Mohan Adtani
Indian Administrative Service (Retired)
Flat No. A/3, Maval Flats, Moledina Road,
Camp, Pune- 411001, Maharashtra

Chairman”.

[F. No. J-11013/30/ 2007- IA.II (I)]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 850(E), dated the 17th March, 2017.

RAKESH SUKUL  Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.12.22 22:37:25 +05'30'